"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 245] रायपुर, शनिवार, दिनांक 5 सितम्बर 2009—भाद्र 14, शक 1931

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2009

क्रमांक/6231/डी.162/21-अ/प्रा./09.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 29-07-2009 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 8 सन् 2009)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) अधिनियम, 2009

वित्तीय वर्ष 2009-2010 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये अधिनियम.

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2009 है.

वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिये राज्य की संचित निधि में से 13,44,05,54,700/- रुपयों का दिया जाना.

2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग एक हजार तीन सौ चवालीस करोड़, पांच लाख, चौवन हजार, सात सौ रुपया होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिये, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के बाबत् वित्तीय वर्ष 2009-2010 के दौरान दिये जाने होंगे और उपयोजित की जा सकेंगे.

विनियोग.

3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक (1)	सेवाएं और प्रयोजन (2)		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त,	संचित निधि पर भारित (3)	योग
			रुपये	रुपये	रुपये
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	3,61,00,100	15,08,000	3,76,08,100
03	पुलिस	राजस्व	36,00,00,200	0	36,00,00,200
05	जेल	राजस्व	8,82,01,200	0	8,82,01,200
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	10,12,75,200	0	10,12,75,200
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	6,49,02,000	0	6,49,02,000
08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	2,43,93,000	0	2,43,93,000
09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,00,00,000	0	1,00,00,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व पूंजी	47,30,000 0	0 66,30,000	47,30,000 66,30,000
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,18,98,000	0	1,18,98,000
13	कृषि	राजस्व	10,08,05,200	0	10,08,05,200
15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	3,74,51,000	0	3,74,51,000
16	मछली पालन	राजस्व	4,20,000	0	4,20,000
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	13,97,20,100	0	13,97,20,100
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	2,31,46,000	0	2,31,46,000
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय.	पूंजी	1,00,000	0	1,00,000
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजी	29,10,00,100	0	29,10,00,100
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	21,72,04,000	0	21,72,04,000
28	राज्य विधान मंडल	राजस्व	37,00,000	0	37,00,000
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	0	52,00,000	52,00,000
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	48,66,75,000	0	48,66,75,000
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	33,31,000	0	33,31,000
36	परिवहन	राजस्व	200	0	200
38	बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान.	राजस्व पूंजी	66,84,85,000 1,05,17,29,000	0 0	66,84,85,000 1,05,17,29,000
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व पूंजी	2,01,32,00,000 2,25,00,00,000	0 0	2,01,32,00,000 2,25,00,00,000
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व पूंजी	66,08,28,900 1,82,90,50,900	0 0	66,08,28,900 1,82,90,50,900

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल.	पूंजी	400	0	400
43	खेल और युवक कल्याण	राजस्व	50,00,000	0	50,00,000
		पूंजी	9,45,00,000	0	9,45,00,000
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	पूंजी	300	0	300
46	विज्ञान और टेक्नालाजी	राजस्व	3,00,00,000	0	3,00,00,000
47	तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजन विभाग.	राजस्व	2,00,00,000	0	2,00,00,000
		पूंजी	300	0	300
53	अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	राजस्व	86,16,000	0	86,16,000
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय.	राजस्व	600	0	600
56	ग्रामोद्योग	राजस्व	73,54,000	0	73,54,000
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	14,72,23,400	0	14,72,23,400
		पूंजी	54,50,00,100	0	54,50,00,100
66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	1,50,000	0	1,50,000
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	पूंजी	4,65,00,000	0	4,65,00,000
68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन.	पूंजी	1,61,39,000	0	1,61,39,000
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण.	राजस्व	200	0	200
75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	पूंजी	10,00,00,000	0	10,00,00,000
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	200	0	200
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	1,20,81,88,100	0	1,20,81,88,100

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	23,59,81,000	0	23,59,81,000
82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	44,94,25,000	0	44,94,25,000
83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	राजस्व	3,47,92,000	0	3,47,92,000
		योग - राजस्व	**7,20,31,96,600**	**67,08,000**	**7,20,99,04,600**
		पूंजी	**6,22,40,20,100**	**66,30,000**	**6,23,06,50,100**
		वृहद योग	**13,42,72,16,700**	**1,33,38,000**	**13,44,05,54,700**

रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2009

क्रमांक/6231/डी.162/21-अ/प्रा./09.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 3) अधिनियम, 2009 (क्रमांक 8 सन् 2009) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 8 of 2009)

THE CHHATTISGARH APPROPRIATION (No. 3) ACT, 2009

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh for the services of the Financial Year 2009-2010.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixtieth year of the Republic of India as follows :-

1. This Act may be called the Chhattisgarh Appropriation Act, 2009 (No. 3 of 2009). **Short title.**

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of One Thousand Three Hundred Forty Four Crore Five Lakh Fifty Four Thousand Seven Hundred rupees towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2009-2010 in respect of services specified in column (2) of the schedule. **Issue of Rs. 13,44,05,54,700/- from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2009-2010.**

Appropriation. 3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE

(See Section 2 and 3)

No. of Vote	Services and Purposes		Sums not exceeding		
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated Fund	Total
(1)	(2)			(3)	
			Rs.	Rs.	Rs.
01	General Administration	Revenue	3,61,00,100	15,08,000	3,76,08,100
03	Police	Revenue	36,00,00,200	0	36,00,00,200
05	Jail	Revenue	8,82,01,200	0	8,82,01,200
06	Expenditure pertaining to Finance Department.	Revenue	10,12,75,200	0	10,12,75,200
07	Expenditure pertaining to Commercial Tax Department.	Revenue	6,49,02,000	0	6,49,02,000
08	Land revenue and district administration.	Revenue	2,43,93,000	0	2,43,93,000
09	Expenditure pertaining to Revenue Department.	Revenue	1,00,00,000	0	1,00,00,000
11	Expenditure pertaining to Commerce and Industry Department.	Revenue Capital	47,30,000 0	0 66,30,000	47,30,000 66,30,000
12	Expenditure pertaining to Energy Department.	Revenue	1,18,98,000	0	1,18,98,000
13	Agriculture	Revenue	10,08,05,200	0	10,08,05,200
15	Financial assistance to three tier Panchayati Raj Institutions under Scheduled Caste Sub Plan.	Revenue	3,74,51,000	0	3,74,51,000
16	Expenditure pertaining to Fisheries Department.	Revenue	4,20,000	0	4,20,000
19	Public Health and Family Welfare.	Revenue	13,97,20,100	0	13,97,20,100

(1)	(2)		(3)		
			Rs.	Rs.	Rs.
20	Public Health Engineering	Revenue	2,31,46,000	0	2,31,46,000
21	Expenditure pertaining to Housing and Environment Department.	Capital	1,00,000	0	1,00,000
24	Public works-roads and bridges.	Capital	29,10,00,100	0	29,10,00,100
27	School education	Revenue	21,72,04,000	0	21,72,04,000
28	State Legislature	Revenue	37,00,000	0	37,00,000
29	Administration of Justice and Elections.	Revenue	0	52,00,000	52,00,000
30	Expenditure pertaining to Panchayat and Rural Development Department.	Revenue	48,66,75,000	0	48,66,75,000
31	Expenditure pertaining to Planning Economics and Statistics Department.	Revenue	33,31,000	0	33,31,000
36	Transport	Revenue	200	0	200
38	Grant from centre on the basis of Twelth Finance Commission Recommendation.	Revenue Capital	66,84,85,000 1,05,17,29,000	0 0	66,84,85,000 1,05,17,29,000
39	Expenditure pertaining to Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department.	Revenue Capital	2,01,32,00,000 2,25,00,00,000	0 0	2,01,32,00,000 2,25,00,00,000
41	Tribal Areas Sub-plan	Revenue Capital	66,08,28,900 1,82,90,50,900	0 0	66,08,28,900 1,82,90,50,900
42	Public Works relating to Tribal Areas Sub-Plan-roads and bridges.	Capital	400	0	400
43	Expenditure pertaining to Sports and Youth Welfare Department.	Revenue Capital	50,00,000 9,45,00,000	0 0	50,00,000 9,45,00,000
45	Minor Irrigation Works	Capital	300	0	300
46	Expenditure pertaining to Science and Technology Department.	Revenue	3,00,00,000	0	3,00,00,000
47	Man-Power Planning and Technical Education Department.	Revenue Capital	2,00,00,000 300	0 0	2,00,00,000 300

(1)	(2)		(3)		
			Rs.	Rs.	Rs.
53	Financial assistance to Urban bodies under Scheduled Caste Sub Plan.	Revenue	86,16,000	0	86,16,000
55	Expenditure pertaining to Women and Child Welfare.	Revenue	600	0	600
56	Rural Industries	Revenue	73,54,000	0	73,54,000
64	Scheduled Caste Sub Plan	Revenue Capital	14,72,23,400 54,50,00,100	0 0	14,72,23,400 54,50,00,100
66	Welfare of Backward Classes	Revenue	1,50,000	0	1,50,000
67	Public Works-Buildings	Capital	4,65,00,000	0	4,65,00,000
68	Public Works relating to Tribal Areas Sub-Plan-Buildings.	Capital	1,61,39,000	0	1,61,39,000
69	Expenditure pertaining to Urban Administration and Development Department-Urban Welfare.	Revenue	200	0	200
75	NABARD aided Projects pertaining to Water Resources Department.	Capital	10,00,00,000	0	10,00,00,000
79	Expenditure pertaining to Medical Education Department.	Revenue	200	0	200
80	Financial assistance to Three tier Panchayati Raj Institutions.	Revenue	1,20,81,88,100	0	1,20,81,88,100
81	Financial assistance to Urban bodies.	Revenue	23,59,81,000	0	23,59,81,000
82	Financial assistance to Three tier Panchayati Raj Institutions under the tribal area sub-plan.	Revenue	44,94,25,000	0	44,94,25,000
83	Financial assistance to urban bodies under the tribal area sub-plan.	Revenue	3,47,92,000	0	3,47,92,000
		Total Revenue	**7,20,31,96,600**	**67,08,000**	**7,20,99,04,600**
		Capital	**6,22,40,20,100**	**66,30,000**	**6,23,06,50,100**
		Grand Total	**13,42,72,16,700**	**1,33,38,000**	**13,44,05,54,700**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.